कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 259/04/मु.मं/आउशि/शा–5'अ'/2017 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2017

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय,

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल से प्रकाशित पुस्तकें आगामी आदेश पर्यन्त क्रय न करने विषयक।

–0–

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता है कि कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल द्वारा दो पुस्तकें– 1. "भारत का भूगोल", लेखक श्री हरीश कुमार खत्री एवं 2. "भूगोल" लेखक डॉ.एम.एस.सिसौदिया प्रकाशित की गई हैं। प्रकाशित पुस्तकों के संदर्भ में मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति–जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि दोनों पुस्तकों में गौड़ जनजाति को गाय मारने वाला तथा गाय का मांस खाने वाला इसके साथ ही सुअर, कुत्ता, बिल्ली, निवला, मगरमच्छ, आदि खाने वाला मिश्रित रक्त बताते हुए आपत्तिजनक तथ्य प्रस्तुत किया गया है। शिकायत की जॉच कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के माध्यम से गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा कराई गई जिससे यह तथ्य ज्ञात होता है कि उपरोक्तानुसार लेखकों की टीप ऐतिहासिक रूप से साक्ष्यों से परे है।

उपरोक्त टीप से वर्ग विशेष में आक्रोश की व्याप्त है जिससे सामाजिक समरसता भंग होने की संभावना है। प्रकाशक का यह कृत्य आपत्तिजनक एवं गैर जिम्मेदाराना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश पर्यन्त सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में इस विषयांकित प्रकाशक से कोई भी पुस्तक भविष्य में क्रय नहीं की जाए।

(एम.बी.ओझा)
आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ.क्र./अका./2017/721 जबलपुर, दिनांक 18.4.2017

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त प्राचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, रा.दु.वि.वि., जबलपुर की ओर उपरोक्त आदेश वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

307
18/4/2017

आदेशानुसार,

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर